इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83] भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 मार्च 2024—फाल्गुन 23, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

क्रमांक CT/8/0003/2024-Sec-1-05(CT)(08) : राज्य सरकार, मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 158क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" को ऐसी प्रणाली के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके साथ मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 158क की उपधारा (2) के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट" से उद्यम श्रेणी का एक ओपन आर्किटेचर सूचना प्रौद्योगिकी मंच अभिप्रेत है, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2023 की "विकासकारी और विनियामक नीतियों पर कथन" पर उसके भाग के रूप में की गई है तथा इसका विकास उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रत्यय के बृहत वातावरण में उसके प्रचालनों के लिए किया गया है, जिससे विभिन्न डाटा स्रोतों से डिजीटल रूप में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और जहां वितीय सेवा प्रदाता और बहुल डाटा सेवा प्रदाता मानक

और प्रोटोकाल चलित आर्किटेक्चर, ओपन और साझा अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई) फ्रेमवर्क का उपयोग करते किसी मंच पर मिलते हैं, से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

2. यह अधिसूचना 22 फरवरी, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

क्रमांक CT/8/0003/2024-Sec-1-05(CT) भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT/8/0003/2024-Sec-1-05(CT)(08), दिनांक ..13...मार्च, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 13th March 2024

No. CT/8/0003/2024-Sec-1-05(CT)(08) : In exercise of the powers conferred by section 158A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies "Public Tech Platform for Frictionless Credit" as the system with which information may be shared by the common portal based on consent under sub-section (2) of Section 158A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).

Explanation.— For the purpose of this notification, "Public Tech Platform for Frictionless Credit" means an enterprise-grade open architecture information technology platform, conceptualized by the Reserve Bank of India as part of its "Statement on Developmental and Regulatory Policies" dated the 10th August, 2023 and developed by its wholly owned subsidiary, Reserve Bank Innovation Hub, for the operations of a large ecosystem of credit, to ensure access of information from various data sources digitally and where the financial service providers and multiple data service providers converge on the platform using standard and protocol driven architecture, open and shared Application Programming Interface (API) framework.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 22nd February, 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.